

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-28042022-235405
SG-DL-E-28042022-235405असाधारण
EXTRAORDINARYप्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 259]	दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 27, 2022/ वैशाख 7, 1944	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 46
No. 259]	DELHI, WEDNESDAY, APRIL 27, 2022/ VAISAKHA 7, 1944	[N. C. T. D. No. 46

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 20 अप्रैल, 2022

सं0फा0 16(827)/श0वि0/जल /2021/401.— दिल्ली जल बोर्ड अधिनियम, 1998 (1998 का दिल्ली अधिनियम संख्या 4) की धारा 7 तथा 51 के साथ पठित धारा 109 की उपधारा (2) के खंड (एम) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा सक्षम प्राधिकारी की दिनांक 23.09.2019 के आदेशों के अनुसार तथा दिनांक 10.06.2021 के पत्र सं0 1526 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग द्वारा दी गई सहमति से तथा दिनांक 07.04.2016 की अधिसूचना संख्या फा0 16(521)/श0वि0/जल/2015/481 द्वारा अधिसूचित मुख्य जल विश्लेषक भर्ती तथा पदोन्नति विनियमों के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई बाते या हटाई जाने वाली बातों को छोड़कर दिल्ली जल बोर्ड में मुख्य जल विश्लेषक के पद की भर्ती पद्धति संबंधी दिल्ली जल बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियम इसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं, अर्थात् :-

- संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ :- (1) इन विनियमों को दिल्ली जल बोर्ड मुख्य जल विश्लेषक के पद के भर्ती विनियम, 2022 कहा जाये।
(2) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर :- उक्त पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा उसके साथ संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा, अन्य योग्यताएं** :- उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं तथा उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
4. **अयोग्यता** :- कोई भी व्यक्ति
(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से, विवाह किया है जिसका जीवित पति/पत्नी है; या
(ख) जिसने जीवित पत्नी/पति के रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह या विवाह का अनुबंध किया है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिये अयोग्य होगा :
शर्त यह है कि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्तियों और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये अन्य आधार है/हैं, तो किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगा।
5. **छूट प्रदान करने की शक्ति** :- जहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का मत है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह आदेश द्वारा तथा कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन विनियमों के उपबंधों से छूट प्रदान कर सकती है।
6. **बचाव** :- इन विनियमों में कोई भी बात इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति तथा अन्य विशेष व्यक्तियों के वर्गों के लिये उपबंधित किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट एवं अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी।

“अनुसूची”

1.	पदनाम	:	मुख्य जल विश्लेषक
2.	पदों की संख्या	:	03 (2021)* इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर।
3.	वर्गीकरण	:	सामान्य केन्द्रीय सेवा अलिपिकीय राजपत्रित श्रेणी “क”
4.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	:	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -11 (67700 – 208700 /-रुपये)
5.	क्या चयन पद है या गैर चयन पद	:	चयन पद
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	:	लागू नहीं
8.	क्या सीधी भर्ती के लिये अपेक्षित आयु एवं शैक्षिक योग्यता पदोन्नति के मामले में भी लागू होगी।	:	आयु : लागू नहीं शैक्षिक योग्यता : लागू नहीं
9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	:	दो वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या विलयन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा 100 प्रतिशत
11.	यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / विलयन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / विलयन किया जाना है	:	पदोन्नति:- पांच वर्ष की नियमित सेवा सहित वेतन मैट्रिक्स के स्तर - 9 (53100 – 167800 /-रुपये) में सहायक मुख्य जल विश्लेषक तथा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन/जीव रसायन/सूक्ष्म जीव विज्ञान/जीवाणु विज्ञान/जीव प्रौद्योगिकी/प्राणी विज्ञान में मास्टर डिग्रीधारी तथा दिल्ली जल बोर्ड प्रशिक्षण संस्थान से पदोन्नति पद के कार्यों से संबंधित क्षेत्र में एक सप्ताह का प्रशिक्षण पूरा करने वाले। टीप:- जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है वे पदोन्नति के लिए विचारणीय है। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे

		बशर्त कि उनके लिए अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा की अवधि के आधे से न्यून या दो वर्ष से कम न हो और उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने (कनिष्ठ अधिकारी) उतनी अर्हक/पात्रता पहले ही पूरी कर ली है। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) केन्द्रीय/राज्य सरकार/ उपक्रमों / विश्वविद्यालयों /मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों/ सांघिक या स्वायत्त संगठनों के निम्नलिखित अधिकारी:- क. (1) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले; अथवा (2) स्तर -9 / स्तर -10 में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत ग्रेड में पांच वर्षों की नियमित सेवा सहित अथवा मूल संवर्ग या विभाग में समकक्ष । (ख) निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव रखने वाले:- (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन/सूक्ष्म जीव विज्ञान/जीवाणु विज्ञान/जीव प्रौद्योगिकी/ प्राणी विज्ञान/ वनस्पति विज्ञान में मास्टर डिग्री (2) जल/सिंचन परीक्षण प्रयोगशाला/संयन्त्र में जल शोधन अथवा सिंचन शोधन के परिचालन में तीन वर्ष का अनुभव। टीप 1 : भरक श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो कि पदोन्नति की सीधी श्रृंखला में है वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। इसी तरह, प्रतिनियुक्ति वाले भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। टीप 2: प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि भी सम्मिलित है। यह सामान्यतः चार वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पर नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होंगी।
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	पदोन्नति 1. अध्यक्ष /सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग-अध्यक्ष 2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/सदस्य (प्रशा0), दिल्ली जल बोर्ड- सदस्य 3. सदस्य (जल), दिल्ली जल बोर्ड- सदस्य सीधी भर्ती का स्थायीकरण 1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी /सदस्य (प्रशा0), दिल्ली जल बोर्ड - अध्यक्ष 2. सदस्य (जल) , दिल्ली जल बोर्ड- सदस्य 3. निदेशक (प्रशासन एवं कार्मिक), दिल्ली जल बोर्ड- सदस्य
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
 के आदेश से और उनके नाम पर,
 राजेश कुमार, उप सचिव (जल)

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 20th April, 2022

No. 16(827)/UD/W/2021/401.—The following recruitment regulations made by the Delhi Water Board in exercise of the powers conferred by clause (m) sub-section (2) of section 109 read with sections 7 and 51 of the Delhi Water Board Act, 1998 (Delhi Act. No. 4 of 1998) vide Competent Authority order dated 23.09.2019 and concurred by the Union Public Service Commission vide letter No. 1526 dated 10.06.2021 & in supersession of the Chief Water Analyst recruitment & promotion regulations notified vide Notification No. F.16(521)/UD/ W/2015/481 dated 07.04.2016, except as respects things done or omitted to be done before such supersession regarding method of recruitment to the post of Chief Water Analyst in the Delhi Water Board, Delhi are hereby published, namely :-

1. **Short title and commencement:** - (I) These regulations may be called the Delhi Jal Board Chief Water Analyst in Recruitment Regulations, 2022.
(II) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Delhi Gazette.
2. **Number of posts, classification and Level in the Pay matrix:** The number of posts, classification and Level in the Pay matrix attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these regulations.
3. **Method of recruitment, age limit and other qualifications:** -The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.
4. **Disqualification:**— No person;-
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
shall be eligible for appointment to any of the said posts:
Provided that Government, may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any persons from the operation for this regulation.
5. **Power to relax the provisions:-** Where the Government of National Capital Territory of Delhi is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
6. **Saving:** - Nothing in these regulations shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

ANNEXURE-I

NAME OF POST.	NO. OF POSTS.	CLASSIFICATION.	LEVEL IN THE PAY MATRIX.	WHETHER SELECTION OR NON-SELECTION POST.	AGE LIMIT FOR DIRECT RECRUITS.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
CHIEF WATER ANALYST.	3 (2021) *SUBJECT TO VARIATION DEPENDENT ON WORKLOAD.	GENERAL CENTRAL SERVICE NON MINISTERIAL GAZETTED GROUP – A.	LEVEL – 11 IN THE PAY MATRIX (RS. 67700- 208700).	SELECTION POST	NOT APPLICABLE.

EDUCATIONAL & OTHER QUALIFICATION REQUIRED FOR DIRECT RECRUITS.	WHETHER AGE AND EDUCATIONAL QUALIFICATION PRESCRIBED FOR DIRECT RECRUITS WILL APPLY IN THE CASE OF PROMOTEES.	PERIOD OF PROBATION, IF ANY.	METHOD OF RECRUITMENT WHETHER BY DIRECT RECRUITMENT, OR BY PROMOTION OR BY DEPUTATION/ ABSORPTION AND PERCENTAGE OF VACANCIES TO BE FILLED BY VARIOUS METHODS.	IN CASE OF RECRUITMENT BY PROMOTION OR DEPUTATION/ABSORPTION, GRADES FROM WHICH PROMOTION OR DEPUTATION/ ABSORPTION TO BE MADE.	IF A DPC EXISTS, WHAT IS ITS COMPOSITION.	CIRCUMSTANCES IN WHICH UPSC IS TO BE CONSULTED IN MAKING RECRUITMENT.
7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
NOT APPLICABLE	AGE: NOT APPLICABLE EDU. QUAL.: NOT APPLICABLE	TWO YEARS.	PROMOTION FAILING WHICH BY DEPUTATION INCLUDING SHORT TERM CONTRACT. 100%	<u>PROMOTION :</u> ASSISTANT CHIEF WATER ANALYST IN LEVEL -9 (RS.53100 -167800) IN THE PAY MATRIX WITH 5 YEARS REGULAR SERVICE AND POSSESSING MASTERS OF SCIENCE IN CHEMISTRY/ BIO-CHEMISTRY/ MICROBIOLOGY/ BACTERIOLOGY/BIO TECHNOLOGY/ ZOOLOGY/ BOTANY FROM A RECOGNIZED UNIVERSITY, AND HAVE UNDER GONE ONE WEEK TRAINING IN THE RELATED FILED OF DUTIES OF THE PROMOTIONAL POST FROM THE DELHI JAL BOARD TRAINING INSTITUTE. <u>NOTE:</u> WHERE JUNIORS WHO HAVE COMPLETED THEIR QUALIFYING/ELIGIBILITY SERVICE ARE BEING CONSIDERED FOR PROMOTION, THEIR SENIORS WOULD ALSO BE CONSIDERED PROVIDED THEY ARE NOT SHORT OF THE REQUISITE QUALIFYING/ELIGIBILITY SERVICE BY MORE THAN HALF OF SUCH QUALIFYING/ELIGIBILITY SERVICE OR TWO YEARS, WHICHEVER IS LESS, AND HAVE SUCCESSFULLY COMPLETED THEIR PROBATION PERIOD FOR PROMOTION TO THE NEXT HIGHER GRADE ALONG WITH THEIR JUNIORS WHO HAVE ALREADY COMPLETED SUCH QUALIFYING/ELIGIBILITY SERVICE. <u>DEPUTATION (ISTC):</u> OFFICERS UNDER THE CENTRAL/STATE GOVERNMENTS/ UNDERTAKINGS/ UNIVERSITIES/ RECOGNIZED RESEARCH	<u>PROMOTION</u> 1. CHAIRMAN/ MEMBER UPSC- CHAIRMAN 2. CEO/MEMBER (ADMIN.), DELHI JAL BOARD - MEMBER 3. MEMBER (WATER), DELHI JAL BOARD - MEMBER <u>CONFIRMATION OF DR</u> 1. CEO/MEMBER (ADMIN.), DELHI JAL BOARD - CHAIRMAN 2. MEMBER (WATER), DELHI JAL BOARD – MEMBER 3. DIRECTOR (ADMINISTRATION AND PERSONNEL), DJB - MEMBER	CONSULTATION WITH UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION NECESSARY ON EACH OCCASION.

EDUCATIONAL & OTHER QUALIFICATION REQUIRED FOR DIRECT RECRUITS.	WHETHER AGE AND EDUCATIONAL QUALIFICATION PRESCRIBED FOR DIRECT RECRUITS WILL APPLY IN THE CASE OF PROMOTEES.	PERIOD OF PROBATION, IF ANY.	METHOD OF RECRUITMENT WHETHER BY DIRECT RECRUITMENT, OR BY PROMOTION OR BY DEPUTATION/ ABSORPTION AND PERCENTAGE OF VACANCIES TO BE FILLED BY VARIOUS METHODS.	IN CASE OF RECRUITMENT BY PROMOTION OR DEPUTATION/ABSORPTION, GRADES FROM WHICH PROMOTION OR DEPUTATION/ ABSORPTION TO BE MADE.	IF A DPC EXISTS, WHAT IS ITS COMPOSITION.	CIRCUMSTANCES IN WHICH UPSC IS TO BE CONSULTED IN MAKING RECRUITMENT.
7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
				INSTITUTIONS/ STATUTORY OR AUTONOMOUS ORGANIZATIONS:- A)(I) HOLDING ANALOGOUS POSTS ON REGULAR BASIS IN THE PARENT CADRE/ DEPARTMENT OR (II) WITH FIVE YEARS REGULAR SERVICE IN THE GRADE RENDERED AFTER APPOINTMENT THERETO ON REGULAR BASIS IN LEVEL-9/LEVEL-10 OR EQUIVALENT IN THE PARENT CADRE OR DEPARTMENT AND (B) <u>POSSESSING THE FOLLOWING EDUCATIONAL QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE:-</u> (I) MASTER OF SCIENCE IN CHEMISTRY / MICRO-BIOLOGY/ BACTERIOLOGY/ BIO-TECHNOLOGY/ ZOOLOGY/ BOTANY FROM A RECOGNIZED UNIVERSITY. (II) THREE YEARS EXPERIENCE IN THE OPERATION OF WATER TREATMENT OR SEWAGE TREATMENT IN WATER/ SEWAGE TESTING LABORATORY/PLANT. <u>NOTE-1:</u> THE DEPARTMENTAL OFFICERS IN THE FEEDER CATEGORY WHO ARE IN THE DIRECT LINE OF PROMOTION SHALL NOT BE ELIGIBLE FOR CONSIDERATION FOR APPOINTMENT ON DEPUTATION. SIMILARLY, DEPUTATIONISTS SHALL NOT BE ELIGIBLE FOR CONSIDERATION FOR APPOINTMENT BY PROMOTION.		

EDUCATIONAL & OTHER QUALIFICATION REQUIRED FOR DIRECT RECRUITS.	WHETHER AGE AND EDUCATIONAL QUALIFICATION PRESCRIBED FOR DIRECT RECRUITS WILL APPLY IN THE CASE OF PROMOTEES.	PERIOD OF PROBATION, IF ANY.	METHOD OF RECRUITMENT WHETHER BY DIRECT RECRUITMENT, OR BY PROMOTION OR BY DEPUTATION/ ABSORPTION AND PERCENTAGE OF VACANCIES TO BE FILLED BY VARIOUS METHODS.	IN CASE OF RECRUITMENT BY PROMOTION OR DEPUTATION/ABSORPTION, GRADES FROM WHICH PROMOTION OR DEPUTATION/ ABSORPTION TO BE MADE.	IF A DPC EXISTS, WHAT IS ITS COMPOSITION.	CIRCUMSTANCES IN WHICH UPSC IS TO BE CONSULTED IN MAKING RECRUITMENT.
7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
				NOTE-2: PERIOD OF DEPUTATION (ISTC) INCLUDING PERIOD OF DEPUTATION (ISTC) IN ANOTHER EX-CADRE POST HELD IMMEDIATELY PRECEDING THIS APPOINTMENT IN THE SAME OR SOME OTHER ORGANIZATION/ DEPARTMENT OF THE CENTRAL GOVT SHALL ORDINARILY NOT EXCEED FOUR YEARS. THE MAXIMUM AGE LIMIT FOR APPOINTMENT BY DEPUTATION (ISTC) SHALL NOT EXCEED 56 YEARS AS ON THE CLOSING DATE OF THE RECEIPT OF APPLICATIONS.		

By Order and in the Name of Lt. Governor
of National Capital Territory of Delhi,
RAJESH KUMAR, Dy. Secy. (Water)